स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 206, दिनांक 23.08.2020

जनपद मेरठ से N.C.E.R.T. की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की किताबें तैयार करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को 8,90,439 किताबों के साथ किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 22.08.2020 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद मेरठ से N.C.E.R.T. की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की किताबें तैयार कर विभिन्न प्रदेशों व जनपदों में बेचने वाले गिरोह के 04 सदस्यो को 8,90,439 किताबों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–शिवम (बिलिंग) पुत्र कालीचरण नि0 म0नं0 419 माता का बाग पुराना बागपत स्टेण्ड, मेरठ।
2–राहुल (बिलिंग) पुत्र सूरजमल नि0 म0नं0 498 नई गोविन्दपुरी थाना कंकरखेडा, मेरठ।
3–सुनील कुमार (सुपरवाईजर)पुत्र प्रीतम सिंह नि0 एकतानगर डोरली रोड मेरठ ।
4– आकाश (मार्केटिंग) पुत्र राजकुमार नि0 1331 इन्द्रानगर थाना ब्रहमपुरी मेरठ।

बरामदगीः

1 8,90,439 एनसीआरटी की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की किताबें।
2 09 अदद कम्प्यूटर के सी0पी0यू0 ।
3 123 अदद बिल बुक व 44 नई बिल बुक।
4 70 खाली लिफाफें टीएनएचके कम्पनी मार्का।
5 02 अदद लेटर पैड मेरठ सिक्योरिटी प्रेस।
6 09 अदद लैटर पैड टी0एन0एच0 कम्पनी।
7 07 डिब्बी विजिटिंग कार्ड टीएनएचके कम्पनी प्रो0 सचिन गुप्ता।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 22.08.2020, स्थानः–ग्राम अछरोड से ग्राम काशी की ओर जाने वालें रास्ते पर स्थित गोदाम थाना परतापुर,मेरठ समयः–15.15 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उ0प्र0 सहित देश के विभिन्न राज्यों/जनपदो में एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की पुस्तकें तैयार कर बेचने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ की टीम को मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद में एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की पुस्तकें तैयार कर पश्चिमी उ0प्र0 एवं देश के विभिन्न राज्यों/जनपदो में बेची जा रही हैं।

इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना परतापुर जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत अछरोड से ग्राम काशी मार्ग पर एक गोदाम हैं, जिसमें एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबें फर्जी तरीके

से छापकर देश के विभिन्न राज्यों व जनपदों में बेची जा रही हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 श्री संजय कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 वीरबोस, कान्स0 अंकित शर्मा एंव कान्स विकास चौधरी की एक टीम रवाना की गयी तथा थाना परतापुर पुलिस की टीम को साथ लेकर दिनांकः 21.08.2020 को समय लगभग 14.00 बजे ग्राम अछरोडा से ग्राम काशी की ओर जाने वालें रास्ते पर स्थित गोदाम में छापा मारकर भारी संख्या में कूटरचित किताबों की बरामदगी की गयी तत्पश्चात् जॉचोपरान्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 890439 एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित किताबें बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि यह फर्म संजीव गुप्ता जो मो0 भाटवाडा, दुर्गा मन्दिर के पास बुढ़ाना गेट थाना कोतवाली में रहता है एवं उनके भतीजे सचिन गुप्ता पुत्र सुशील कुमार गुप्ता नि0 डी–115 सेक्टर–3 सुशांत सिटी मेरठ की हैं। यह गोदाम राहुल गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता खसरा नं0–198 ग्राम काशी परतापुर मेरठ के नाम पर हैं, जो संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता ने लगभग एक–डेढ साल से किराये पर ले रखा है। हम लोग फर्जी तरीके से बुक खरीदने का बिल तैयार करते हैं। एन0सी0ई0आर0टी0 की विभिन्न कक्षाओं की किताबों की कूटरचना कर फर्जी तरीके से छापकर तथा फर्जी तरीके से बिल आदि तैयार कर सप्लाई करते हैं। इस कार्य में हम लोग लगभग 7–8 साल से लिप्त हैं इस अवैध कार्य से अब तक लगभग 35–40 करोड़ रूपयों की सम्पत्ति बना चुके है। सुनील कुमार (सुपरवाईजर) ने यह भी बताया कि यह एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित किताबें संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता की प्रिटिंग प्रेस टी0एन0एच0के0 प्रिन्टर एण्ड पब्लिकेशन ए–1 मोहकमपुर इन्क्लैव, दिल्ली रोड मेरठ में छपकर व तैयार कर विकास त्यागी व नफीस द्वारा यहॉ भेजी जाती हैं तथा कुछ किताबें म0नं0 एच–6 औद्योगिक क्षेत्र पैराडाईज होटल के सामने निकट पीरशाह सैययद मुकदूस गजरौला स्थित प्रिन्टिंग प्रेस से तैयार होकर यहॉ आती हैं और यहॉ से मांग के अनुसार उ0प्र0 व भारत के अन्य राज्यों के थोक विक्रेताओं को सप्लाई की जाती हैं। इन दोनों प्रिन्टिंग प्रेस को सील करने एवं सैम्पल लेने की कार्यवाही थाना परतापुर पुलिस द्वारा की जा रही हैं।

गिरफ्तार एवं फरार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना परतापुर जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 538/2020 धारा 420/467/468/471/472/201 भादवि व 63 कॉपी राईट अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया, अग्रिम विविध कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।